सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 18.11.2024

हत्या की घटना कारित करने वाले 01 वाँछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सत्यपाल सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई श्री पहुप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.11.2024 को वादिनी खुशबू पुत्री चरन सिंह निवासी ग्राम रम्पुरा लौहरई थाना बसरेहर जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर लिखित तहरीर दी गयी कि जबर सिंह और उसकी मां ने मिलकर मेरे पिता की हत्या करके शव को प्राइमरी स्कूल की बाउण्ड्री के पीछे पहचान छिपाने के लिये जला दिया। तहरीर के आधार पर थाना बसरेहर पर **मु0अ0सं0 108/2024 धारा 103(1)/238(A) बीएनएस व धारा 3(2)(V) SC/ST ACT पंजीकृत किया गया।**

घटना में संलिप्त अभियुक्ता को दिनांक 17.11.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्ता से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त जबर सिंह की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 18.11.2024 को थाना बसरेहर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 108/2024 से संबंधित अभियुक्त जबर सिंह को रम्पुरा पुलिया** से समय **करीब 01.20 बजे गिरफ्तार** किया गया।

अभियुक्त की निशादेही के आधार पर आलाकत्ल लोहे की रॉड को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. जबर सिंह पुत्र राजकुमार सक्सेना निवासी ग्राम रम्पुरा लौहरई थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 35 वर्ष।**

बरामदगीः-

1. 01 आलाकत्ल रक्तरंजित रॉड

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 103(1)/238(A)/3(2)(V) थाना बसरेहर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- क्षेत्राधिकारी सैफई श्री पहुप सिंह,थानाध्यक्ष समित चौधरी मय टीम।